भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2853

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

2853. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के प्रावधान के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत संस्थानों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष/राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए चयनित विद्यार्थियों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जाति के लिए टॉप क्लास शिक्षा योजना के अंतर्गत, ऐसे छात्र जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक कुल आय 8.00 लाख रुपये तक है और जिन्होंने किसी सूचीबद्ध संस्थान में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) द्वारा संस्थान को आवंटित छात्रवृत्तियों (स्लॉट) की संख्या की सीमा के अधीन पात्र हैं।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की संचालन समिति की सिफारिश के आधार आधार पर संस्थानों को इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)/भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)/राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी)/राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी)/भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम)/राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

(एनएलयू) और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए जाने के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ए++ और ए+ प्रत्यायन, शीर्ष 100 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए जाने के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ): अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा की योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसलिए, राज्य-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आवंटित निधियां, उपयोग की गई निधियां और आंध्र प्रदेश के छात्रों सहित लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है।

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियां (संशोधित अनुमान) (रुपए करोड़ में)	व्यय (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	40.50	39.70	1,375
2020-21	50.00	52.87	3,118
2021-22	70.00	84.72	4,544
2022-23	108.00	85.67	4,171
2023-24	100.00	83.84	3,969

*****